

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

29/11/2019

पत्रावली फेरा दुर्गा अधिवक्ता अपीलारे  
की पूर्ब में बहल सुनी गठी बहल  
धुनन एवं पत्रावली के भवलोकर  
के पत्त्यात जामालय इल निष्कर्ष  
पर पटुन्या कि हस्तगत उकरण  
विस्थाण तकनीकी वि. 2/1  
आधार पर न कर 2011व2001  
के आधार पर विस्थाण कएन  
उम्तिउकरी विहाया अपील मन्दा मिलाइ की जारी है



उमर

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

हुकम का  
अहकाम  
नं. की  
तारीख  
हुकम  
जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी  
निर्णय राजस्व (रिजिस्ट्री) (अहकाम)  
दिनांक 1955 के दिनांक 20 से 21 की  
पाठ्य) अही की गई है तथा अपीलार्थी  
बंदबाज By order of Board सिद्ध  
के आधार पर नहीं किया गया अधीनस्थ  
न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई  
का समुचित अवसर नहीं दिया जो  
शांति न्याय के सिद्धांत के खिलाफ  
है उपरोक्त विवेक एवं तथ्यों के  
भावों में अपीलार्थी अपील  
दिनांक करने योग्य बहारी है।  
अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर  
अधीनस्थ न्यायालय सहायक अपर  
जज द्वारा जारी अपीलार्थी  
निर्णय उचित दिनांक 20/11/2019  
को समाप्त किया जाकर मामला  
अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश  
के साथ प्रति उपस्थित किया जाता है  
कि उपरोक्त को सुनवाई का समुचित  
अवसर देकर दिनांक 13/01/2020  
पर पर: निर्णय जारी करना पत्रावली फंसा  
शुभ हो भादो अर इजलास सुनवाई  
जया।



20/11/19  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बाड़मेर